



सत्यमेव जयते

081
INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹10,100

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP31751825529600U
 Certificate Issued Date : 01-Jul-2022 02:46 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14177504/ CHHIBRAMAU/ UP-KNJ
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1417750455382433427248U
 Purchased by : DAYAL EDUCATION WELFARE SOCIETY CBR SACHIN DUBEY
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : PLOT BUILDING SITUATED AT MAUJA SALEMPUR PARGANA AND TEHSIL CHHIBRAMAU KANNAUJ
 Consideration Price (Rs.) : 5,04,000
 (Five Lakh Four Thousand only)
 First Party : MAA BHAGVATI MAHAVIDHYALAY SALEMPUR SACHIN DUBEY
 Second Party : DAYAL EDUCATION WELFARE SOCIETY CBR SACHIN DUBEY
 Stamp Duty Paid By : DAYAL EDUCATION WELFARE SOCIETY CBR SACHIN DUBEY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10,100
 (Ten Thousand One Hundred only)



38
 27
 200000
 अवधेश कुमार मिश्रा
 स्टाम वेण्डर तह० परिसर छिब्रामऊ
 (कन्नौज) कोड न० C-40

Please write or type below this line

Sachin Dubey



Sachin Dubey

0008322884

Statutory Alert

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.eci.e-stamp.com or using e-Stamp Verification App of ECI, Haryana.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Complaint Authority.



अवधि/—
30 वर्ष

1 वर्ष के लाभांश का 6
504000

गुना स्टाम्प
10100/—

सम्पत्ति : एक किता भूखण्ड भवन निर्मित
वार्ड परगना : छिबरामऊ
मौजा : सलेमपुर
सम्पत्ति का विवरण : गाटा सं० 553 का जुज भाग रकवा 1.2555हे० मात्र जिसके
12555 वर्गमी० होते है।

चौहददी—

पूरब— गाटा सं० 553 का जुज भाग

पश्चिम— चकमार्ग

उत्तर— जी०टी० रोड

दक्षिण— आराजी सुरेश गुप्ता आदि

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता) : मॉ भगवती महाविद्यालय सलेमपुर द्वारा प्रबन्धक श्री

सचिन दुबे पुत्र स्व० श्री अवधेश चन्द्र दुबे निवासी

प्रीमल वाली गली छिबरामऊ कन्नौज

आधार कार्ड सं०— 5348 9005 8957

पैन कार्ड नम्बर— AGFPD8082L

मोबाइल नम्बर— 9336851293



Saurya

Saurya

(3)

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहता) : दयाल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी छिबरामऊ
कन्नौज द्वारा प्रबन्धक श्री सचिन दुबे पुत्र स्व० श्री
अवधेश चन्द्र दुबे निवासी पीपल वाली गली छिबरामऊ
कन्नौज
आधारकार्ड सं०— 5348 9005 8957
पैनकार्ड नम्बर— AGFPD8082L
मोबाइल नम्बर— 9336851293

जोकि प्रथम पक्ष एक किता आराजी वाकै मौजा सलेमपुर परगना छिबरामऊ जिला
कन्नौज का जरिये बैनामा दिनांक 22/12/2012 दस्तावेज नं० 7884 के द्वारा मालिक
काविज है। जो तमाम वारों से पाक व साफ है। जिसे मुक़िर को हर तरह से
मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त भूमि पूर्व से ही धारा 143 के
अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित की जा चुकी है। जोकि उपरोक्त आराजी
में रकवा 1.2555हे० मात्र जिसके 12555 वर्गमी० का लीज डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय
पक्ष के मध्य आज दिनांक 01/07/2022 से 02/07/2052 तक के लिये तकमीर
की जा रही है। जिसकी अवधि 30 वर्ष के लिये मान्य होगी।




आवेदन सं०: 202200833008258

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6981

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 504000 स्टाम्प शुल्क- 10100 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क- 5040 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 60 योग : 5100


श्री माँ भगवती महाविद्यालय द्वारा
सचिन दुबे अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री अवधेश चन्द्र दुबे
व्यवसाय : शिक्षक
निवासी: नि० पीपल वाली गली कस्बा व तह० छिबरामऊ जिला कन्नौज



श्री माँ भगवती महाविद्यालय द्वारा  सचिन दुबे अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/07/2022 एवं
03:27:40 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022

महेन्द्र सिंह कठेरिया
निबंधक लिपिक
01/07/2022





(4)

जिनकी शर्तें निम्न हैं।

1. यह कि एक वर्ष का लाभांश मु० 84000 रु० होगा जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्रत्येक वर्ष के माह जुलाई में देय होगा, जोकि 30वर्ष तक निरंतर देय होगा। इस वर्ष का लाभांश मु० 84000/- रु० एकमुस्त प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त लाभांश प्रथम पक्ष व समिति के सभी सदस्यों को सहज स्वीकार है।

2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है। उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्तें हुई हैं इसकी लिपिवद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

3. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूखण्ड/भवन का इस्तेमाल सिर्फ दयाल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अध्यापन कार्य या शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिये लीज डीड दी है।

4. यह कि लीज डीड की अवधि 30 वर्ष होगी।







आवेदन सं०: 202200833008258

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6981

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


पट्टा दाता: 1

श्री मॉ भावती महाविद्यालय के द्वारा सचिन दुबे, पुत्र श्री अवधेश चन्द्र दुबे

निवासी: नि० पीपल वाली गली कस्वा व तह० छिबरामऊ जिला कन्नौज

व्यवसाय: शिक्षक

पट्टा गृहीता: 1




श्री दयाल एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी छिबरामऊ कन्नौज के द्वारा सचिन दुबे, पुत्र श्री अवधेश चन्द्र दुबे

निवासी: नि० पीपल वाली गली कस्वा व तह० छिबरामऊ जिला कन्नौज

व्यवसाय: शिक्षक

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1




श्री कौशल मिश्रा, पुत्र श्री रामकिशोर मिश्रा

निवासी: नि० भारापुर तह० छिबरामऊ जिला कन्नौज

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री अमित दीक्षित, पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ दीक्षित

निवासी: नि० आवास विकास कालोनी कस्वा व तह० छिबरामऊ जिला कन्नौज

व्यवसाय: वकालत



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022

महेन्द्र सिंह कठेरिया
निबंधक लिपिक कन्नौज
01/07/2022



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:




(5)

5. यह कि प्रथम पक्ष को आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधित कार्य सरकारी कार्य एवं स्वामित के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पडती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग्य करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

6. यह कि लीज डीड 30 वर्ष की अवधि के उपरान्त स्वतः निरस्त हो जावेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ सुनकर कता तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक 10.05.2012 को प्रथम पक्ष ने मौजा सलेमपुर रकवा 1.642 के यानि 16420 रकवा पर जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रुबरु गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर टाइप कर तैयार किया गया। विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।







(6)

Sansay



Sansay



प्रथम गवाह - कौशल मिश्रा पुत्र रामकिशोर मिश्रा



निवासी भारापुर पोस्ट कसावा

Kaushal

तहसील छिबरामऊ जनपद-कन्नौज।

द्वितीय गवाह- श्री अमित दीक्षित एडवोकेट पुत्र



स्व० श्री सुरेन्द्रनाथ दीक्षित

[Signature]

पता तहसील परिसर छिबरामऊ

जनपद-कन्नौज।

प्रारूपकर्ता


[Signature]
1-07-022

श्री अमित दीक्षित एडवोकेट

आवेदन सं०: 202200833008258

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 8063 के पृष्ठ 139 से 154 तक क्रमांक
6981 पर दिनांक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अमित कुमार मिश्रा प्रभारी
उप निबंधक : छिबरामऊ
कन्नौज
01/07/2022

